

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 166/2021

दिनांक : 11-11-2021

निर्णय:-
आदेश

प्रार्थी श्री..... हरिराम मीषा..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... रामकाण.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम..... बंदिम..... पटवार मण्डल..... बंदिम.....
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्... 2020-2023... के खाता संख्या..... 257..... में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति..... हरिराम पुत्र रामकाण..... अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से..... हरिराम पुत्र रामकाण..... अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का..... बंदिम..... से करवाने पर पटवारी ने..... हरिराम पुत्र रामकाण..... के
बजाय..... हरिराम पुत्र रामकाण..... करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में..... हरिराम पुत्र रामकाण.....
के बजाय..... हरिराम पुत्र रामकाण..... करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम..... बंदिम.....
के खाता संख्या..... 257..... में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति..... हरिराम पुत्र रामकाण.....
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से..... हरिराम पुत्र रामकाण..... दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुस्तुती करें।



1662
11/11/2021

11/11/21
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

